रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3623] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 11, 2018/भाद्र 20, 1940
No. 3623] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 11, 2018/BHADRA 20, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली,10 सितम्बर 2018

का.आ. 4777(अ).—मंत्रालय प्रारूप अधिसूचना का.आ. 248(अ.), दिनांक 20 जनवरी, 2016 के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह 2.246 हेक्टर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।

और, यह अधिक संख्या में खुले पर्यावास और विभिन्न प्रकार के प्रवासी और आवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। पक्षियों के अलावा, अभयारण्य में विभिन्न प्रकार के वृक्ष झाड़ियों और हाईड्रोफाइसट्स हैं। जीन जीवजंतु प्रजातियों का यहां वास है, उनमें *मोलहक, अरथरोपोदस, अन्नेलिदुस, उभयचर,* सरीसृप और स्तनधारियों की कई प्रजातियां सम्मिलित हैं। क्षेत्र में जीवजंतु प्रजातियों में बनैला सूअर *(सस स्क्रोफ़ा करिस्तुस्ट), ग्राउंड सेरव (सुंकुस मुरनिउस), बनबिलार (फेलिस चाउस),*

फिस्हिंग कैट (परिओनालुरूस विवेर्रनुस), लोमड़ी (वुल्प्स बेंगलेंसिस), सामान्य पीतवर्ण चमगादड़ (स्कोटोफिलुस हेथी), नोकटुले चमगादड़ (नयकटालुस नोकटुला), श्री धारीधार पलाम गिलहरी (फुनाम्बुलुस पल्मारूम), ब्लू बुल (बोसेलाफुस टरागोकमेलुस), सिक्लोप (सिक्लोपस स्प.), कीपरिस (कुरपसि स्प.), परायिग-मंटीस (मंटीस स्प.), गनत (सिमुलियम इक्यूइनुम), वाटर स्कोरपिओन (पनोर्पा कुम्मुउनिस), दुंग बैतले (मेलीओकोक्परिस स्प.), लार्ज कारपेंटर (मेगाचिले केंटुंकुलारिस),वेइनेद जय (ग्राफिउम बेथकेलेस चिरों), क्लास्सय बाघ (परंटीका अगलेया मेलानोइदेस), तेंदुआ (नेउरोसिओमा दोउबलेदयि दोउबलेयि), सलुग (लोमक्स स्प.), यल्लो जेगेबेल (देलिस अगोस्टीना), बाघ ब्राउन (ओरिनोमदेमारिस), इंडियन साग (फलाक्ररोकोरक्स फुस्काकोल्लिस), पर्पल सारस (अरदेया पुरपुरिया),लिट्टल बिट्टेर्न (लक्बरयचुस मिनुटस), ब्लैक इबिस (पलेगदीस फलचिनेल्लुस), स्पोट्टेड बिल्लेड डक (अनास पोइकिलोरहयचा), इयरासिओन विगेओन (अबास पेनेलोपे), कर्स्टेड गोस्हावक (अकिपिटेर टरिविरगातुस), ब्लाक फरांकोलिन (फरांकोलिनुस फरांकोलिनुस), वूड स्निपे (गल्लीनागो नेमोरिकोला), रिवर ट्रन (स्टर्ना अयरांटीअ), केंटीस पलोवर (चरादरिउस अलेक्अनदरिनुस), गरेअटर कोउकल (केंटरोपुस सिनेंसिस), असिअन पलाम स्विफट (कयपसिउरूस बलासिइंसिस), ग्रिन बै-इअटर (मेरोपस ओरिइंटलिस), हौपोइ (उपुपा इपोपस), लौंग टइलेड सरिक (लनिउस स्चाच), बर विंगेड फल्यकटचेर सरिके (हेमिपुस पिकटुस), ग्रिन मुनिया (अमानदवा फोरमोसा),ओलिव बक्केड पिपिट (अंथुस रूफलिस), स्टरिअटेड बब्बलेर (टुरदोइदेस अरलेइ), थिक बिल्लेड फलोवर पेक्केर (दीकउम अगिले), बया वेअवर (पलोकेउस फिल्लिप्पिनुस) शामिल है।

और, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य में विविध प्रकार की वनस्पति प्रजातियों है जिनमें *बबूल (अकेशिया निलोटीका), अयस्टरालिअन अकेशिया (अकशिया अयरिकुलिफोरमिस), इंडियन लबुरूम (केशिया फिस्तुला),यल्लो केशिया (केशिया सिमेयिया), फलाम बोयंट (देलोनिक्स रेगिया), मारगोस (अजादीरेकटा इंडिका), बंयान ट्री (फिकुस बेंगालेंसिस), रेड कोट्टोन ट्री (मोमबक्स केइबा),अरजुन (टेरमिनलिया अर्जुन), विल्व (सलिक्स टट्रास्पेरमा), ताल माखाना (हायगरोफिला अयरिकुलाटर), कंटकारी (सोलानुम क्रथोकरपुम), बसेल्ला से इंडियन स्पिनाचम (बसेल्ला रूबरा), करयपटोस्टेगिया (करयप्टोस्टेगिया ग्रांदीफ्लोरा), नेप्टुनिया (मयमोसे पुदिका), पोटेंटिल्ला सिलवर वेड (पोटेंटिल्ला सुपिना), सेमा (इचिनोचलो कोलोनुम), इरागरोस्टिस (इरागरोस्टिस किल्लारिस), गंधार (वेटिवेरिया जिजनिओइदेस),दाबह (देस्मोस्लाचय बिपिन्नाटा), धामदल गरास्स (केंचरूस किलिरिस),गंधेल (इसेइलेमा लक्युम), ओरयजा (ओरयजा रूफिपोगों), वाइल्ड रिछ (जिजानिया अक्यूटीका), श्यामा (पनिकुम पलुदोसुम), रोरिप्पा (नस्तुरटीम इंडिकुम), अलथेआ (अलथेया लुदविगि), जूट (कोरचोरूस अस्टुअनस), चउसुलिया (कैस्वैदलिया अक्ल्लारिस), इकलिप्टा (इकलिप्टा अलबा), गोबि, लउनेया (लउनिया प्ररोकुम्बेंस), फयला (फयला नोदीफलोरा), चाफ्फ फलोवर (अचयरांथेस असपेरा), अमारांथुस (अमारांथुस टरिकोलोउर), केराटोफयल्लुम (केराटोफयल्लुम देमरसुम), पोटमोगटोन (पोटमोगेटोन पेक्टिनाटुस), उटरिकुलारिया (उटरिकुलारिया इंफलेक्आ), बिलाइटी आक (इपोमेया कोर्निया), पोल्यगोनुम (पोल्यगोनुम बरबतुम), सेस्बनिया (सेस्बनिया अकुलेटा)* आदि शामिल है।

और, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों और उद्योगों के वर्गो और उनके प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य में शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 100 मीटर, तक विस्तारित क्षेत्र को शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**--(1)पारिस्थितिकी संवेदी जोन के क्षेत्र का विस्तार 0.87 वर्ग किलोमीटर है। जो कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला (26^{0}36'02.23" उ अक्षांश के बीच और 26^{0}37'17.36" उ 80^{0}38'38.09" पू और 80^{0}40'11.03" पू देशांतर के बीच) में शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 100 मीटर है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य की सीमा की विवरण **उपाबंध-I** में दिया गया है।

(3) सीमा विवरण और भूमि उपयोग पैटर्न के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र **उपाबंध- II क एवं ख** के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र के भू- निर्देशांक **उपाबंध-III ग एवं घ** के रूप में संलग्न है।

(5) अक्षांशों और देशांतरो के साथ ग्रामों की सूची उपाबंध **उपाबंध-IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.- (1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) पर्यटन;

(vi) नगरपालिका ;

(vii) राजस्व;

(viii) कृषि;

(ix) उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(x) सिंचाई;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों की बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी 4 में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिक अनुकूल विकास सुनिश्चित करेगी तथा संवर्धित करेगी।

(10) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचयन;

(v) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास।

(ग) परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

(ड.) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा ।

(च) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत**- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो ।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजार्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिसोर्टो की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगा।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिसोर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अधीन बनाए गए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार किया जाएगा। ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय- समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात:-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण:-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(ख) जिन ढ़लानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे,

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों, जिनमें घरों के निर्माण या मरम्मत और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईटें बनाने हेतु जमीन की खुदाई शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोडने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञा दी होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्ठों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	प्लास्टिक थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	विनियमित क्रियाकलाप	
10.	होटलों और रिजॉर्टो की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजांर्टो की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: (ख) परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों

		के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण करना; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना ; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्रह-वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप । (ख) परन्तु गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ग) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकार भूमि या राजस्व भूमि या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रह ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौंजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	ये कार्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किये जाएंगे।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक उद्देश्य अनुज्ञात होंगे।
20.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
21.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।

24.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
25.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	ग.संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	बागान लगाना और औषधीय पौधों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार 1986) 1986 ,अधिनियम (संरक्षण) पर्यावरण ,का (29 की धारा 3 (1) की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए एक मानीटरी समिति (3) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी ,गठित करती है:--

(1)	जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव	अधीक्षक;
(2)	पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उन्नाव	सदस्य;
(3)	कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव	सदस्य;
(4)	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई विभाग, उन्नाव	सदस्य;
(5)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(6)	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला उत्तर प्रदेश राज्य की विख्यात संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिक के क्षेत्र से एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(7)	जिला कृषि अधिकारी, उन्नाव	सदस्य;
(8)	वन्यजीव वार्डन, संकटापन्न प्रजातियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य;
(9)	प्रादेशिक अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव	सदस्य;
(10)	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, उन्नाव	सदस्य;

6. विचारार्थ विषय:-

(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/166/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ.सतीश चंद्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

सीमा विवरण

उत्तर-

1. राट्रीय राजमार्ग
2. भवानिपुर ग्राम
3. जंगपुर ग्राम
4. हींदुखेदा ग्राम

दक्षिण-

1. केवना ग्राम- कृषि भूमि
2. रामपुर ग्राम- कृषि भूमि
3. अदर ग्राम- कृषि भूमि
4. कंधाइखेडा ग्राम- कृषि भूमि

पूर्व-

1. कस्बा नवाबगंज
2. पचीयन ग्राम
3. रावांहर ग्राम
4. झखारी ग्राम
5. बरदाई हटा ग्राम

पश्चिम-

1. खवाजगिपुर ग्राम- कृषि भूमि
2. मिसरिगंज ग्राम- कृषि भूमि
3. नवाबगंज रेंज, कार्यालय और वन भूमि

उपाबंध ।।क

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

MAP SHOWING SALIENT FEATURES WITHIN 100m (ECO SENSITIVE ZONE) FROM BOUNDARY OF NAWABGANJ BIRD SANCTUARY

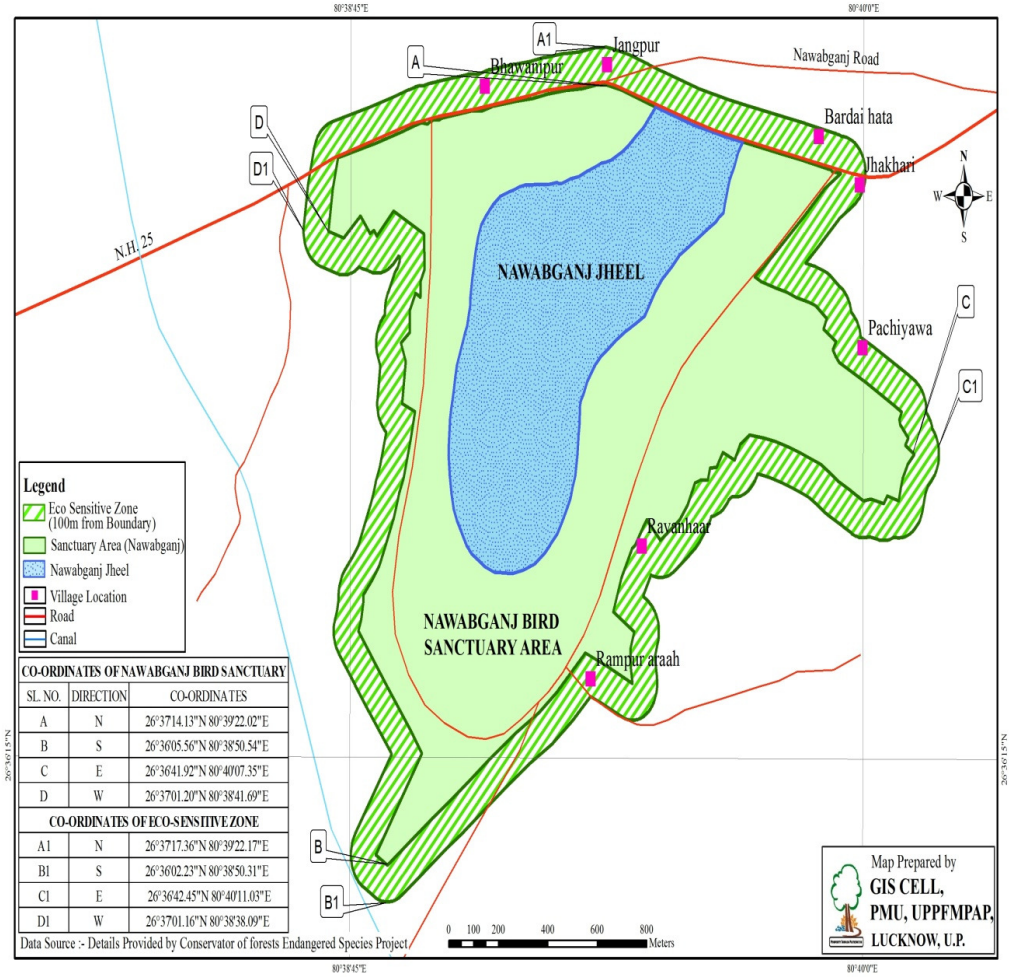

CO-ORDINATES OF NAWABGANJ BIRD SANCTUARY		
SL. NO.	DIRECTION	CO-ORDINATES
A	N	26°37'14.13"N 80°39'22.02"E
B	S	26°36'05.56"N 80°38'50.54"E
C	E	26°36'41.92"N 80°40'07.35"E
D	W	26°37'01.20"N 80°38'41.69"E
CO-ORDINATES OF ECO-SENSITIVE ZONE		
A1	N	26°37'17.36"N 80°39'22.17"E
B1	S	26°36'02.23"N 80°38'50.31"E
C1	E	26°36'42.45"N 80°40'11.03"E
D1	W	26°37'01.16"N 80°38'38.09"E

उपाबंध- II ख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि-उपयोग मानचित्र

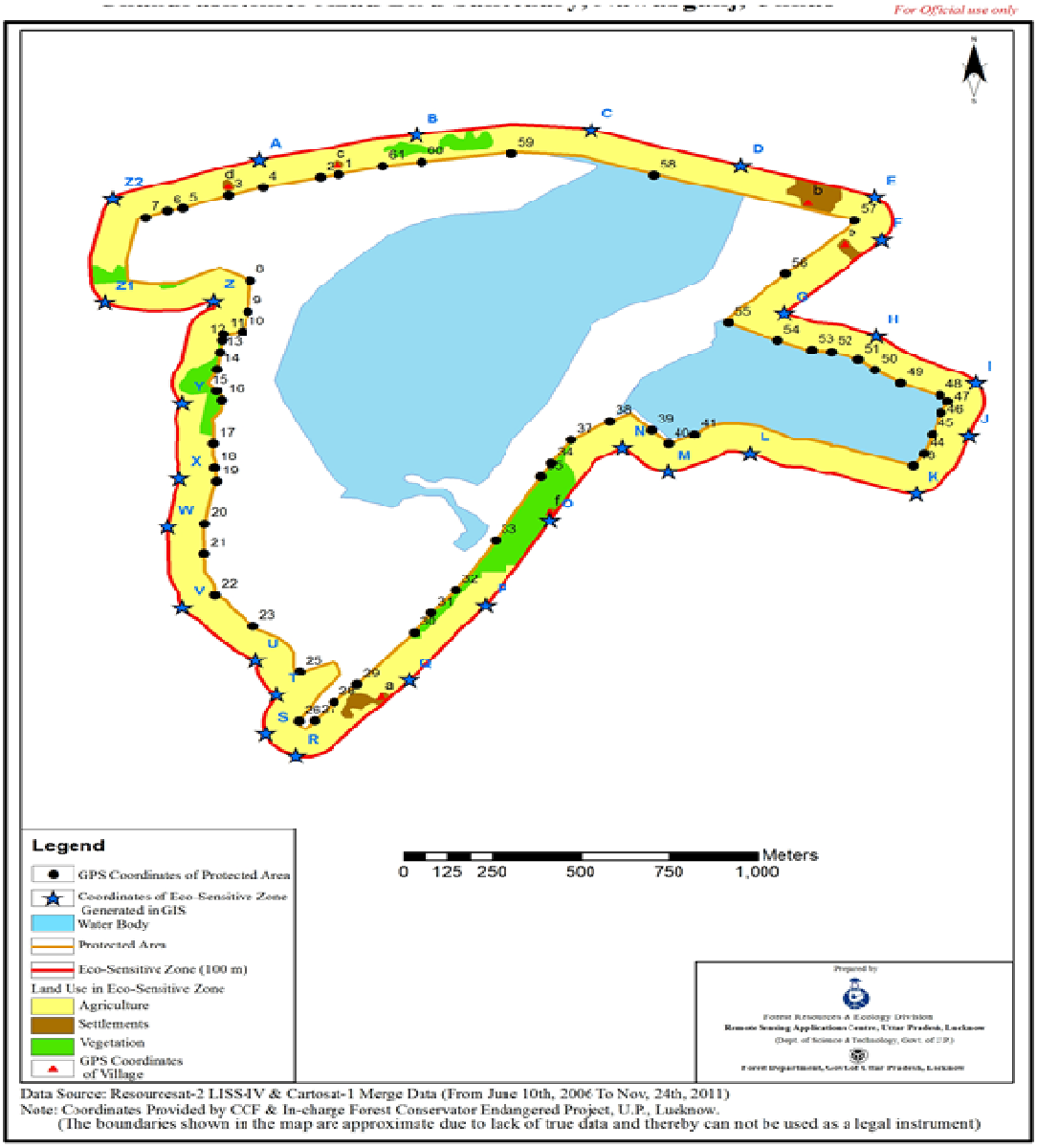

उपाबंध-IIIक

शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य, नवाबगंज, उन्नाव की सीमा के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	बिंदु	अक्षांश	देशांतर
1	1	26°37’12.2"उ	80°39'3.9"पू
2	2	26°37’11.86"उ	80°39'1.94"पू
3	3	26°37’9.79"उ	80°38'52.56"पू
4	4	26°37’10.7"उ	80°38'56.2"पू
5	5	26°37’8.2"उ	80°38'48"पू
6	6	26°37’7.91"उ	80°38'46.43"पू
7	7	26°37’7.1"उ	80°38'41.1"पू
8	8	26°36’59.76"उ	80°38'54.87"पू
9	9	26°36’56.09"उ	80°38'54.64"पू
10	10	26°36’53.69"उ	80°38'54.05"पू
11	11	26°36’53.4"उ	80°38'52.1"पू
12	12	26°36’52.7"उ	80°38'52"पू
13	13	26°36’51.27"उ	80°38'51.75"पू
14	14	26°36’49.32"उ	80°38'51.48"पू
15	15	26°36’46.8"उ	80°38'51.4"पू
16	16	26°36’45.72"उ	80°38'51.97"पू
17	17	26°36’40.59"उ	80°38'51.09"पू
18	18	26°36’37.8"उ	80°38'51.2"पू
19	19	26°36’36.16"उ	80°38'51.44"पू
20	20	26°36’31.2"उ	80°38'50.28"पू
21	21	26°36’27.71"उ	80°38'50.24"पू
22	22	26°36’22.85"उ	80°38'51.33"पू
23	23	26°36’19.19"उ	80°38'55.29"पू
24	24	26°36’13.83"उ	80°39'0.02"पू
25	25	26°36’8.07"उ	80°39'0"पू
26	26	26°36’8.15"उ	80°39'1.56"पू
27	27	26°36’10.3"उ	80°39'3.5"पू
28	28	26°36’12.4"उ	80°39'5.9"पू
29	29	26°36’18.5"उ	80°39'11.7"पू
30	30	26°36’20.81"उ	80°39'13.48"पू
31	31	26°36’23.48"उ	80°39'15.89"पू
32	32	26°36’29.32"उ	80°39'19.87"पू
33	33	26°36’38.4"उ	80°39'25.57"पू

34	34	26°36’36.81"उ	80°39'24.53"पू
35	35	26°36’41.15"उ	80°39'27.53"पू
36	36	26°36’43.3"उ	80°39'31.55"पू
37	37	26°36’42.31"उ	80°39'35.77"पू
38	38	26°36’40.7"उ	80°39'37.5"पू
39	39	26°36’41.79"उ	80°39'40.27"पू
40	40	26°36’38.18"उ	80°40'2.43"पू
41	41	26°36’39.6"उ	80°40'3.57"पू
42	42	26°36’41.88"उ	80°40'4.41"पू
43	43	26°36’44.37"उ	80°40'5.34"पू
44	44	26°36’45.74"उ	80°40'6.04"पू
45	45	26°36’46.5"उ	80°40'5.2"पू
46	46	26°36’47.9"उ	80°40'1.2"पू
47	47	26°36’49.4"उ	80°39'58.6"पू
48	48	26°36’50.6"उ	80°39'56.9"पू
49	49	26°36’51.5"उ	80°39'54.1"पू
50	50	26°36’51.71"उ	80°39'52.1"पू
51	51	26°36’52.81"उ	80°39'48.66"पू
52	52	26°36’54.92"उ	80°39'43.59"पू
53	53	26°37’0.66"उ	80°39'49.43"पू
54	54	26°37’7"उ	80°39'56.5"पू
55	55	26°37’12.2"उ	80°39'35.9"पू
56	56	26°37’14.7"उ	80°39'21.5"पू
57	57	26°37’13.7"उ	80°39'12.3"पू
58	58	26°37’13.2"उ	80°39'8.3"पू

उपाबंध-III ख

शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य, नवाबगंज, उन्नाव जी.आई.एस में पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक

स्थानीय	अक्षांश	देशांतर
ए	26°37' 13.947" उ	80°38' 55.778" पू
बी	26°37' 16.918" उ	80°39' 11.739" पू
सी	26°37' 17.551" उ	80°39' 29.524" पू
डी	26°37' 13.407" उ	80°39' 44.797" पू
ई	26°37' 9.739" उ	80°39' 58.506" पू
एफ	26°37' 4.725" उ	80°39' 59.268" पू
जी	26°36' 56.073" उ	80°39' 49.364" पू
एच	26°36' 53.441" उ	80°39' 58.724" पू

आई	26°36' 47.989" उ	80°40' 8.881" पू
जे	26°36' 41.747" उ	80°40' 8.181" पू
के	26°36' 34.950" उ	80°40' 2.801" पू
एल	26°36' 39.618" उ	80°39' 45.792" पू
एम	26°36' 37.453" उ	80°39' 37.448" पू
ओ	26°36' 40.280" उ	80°39' 32.899" पू
ओ	26°36' 31.736" उ	80°39' 25.507" पू
पी	26°36' 21.749" उ	80°39' 18.952" पू
क्यू	26°36' 12.965" उ	80°39' 11.153" पू
आर	26°36' 4.040" उ	80°38' 59.664" पू
एस	26°36' 6.624" उ	80°38' 56.660" पू
टी	26°36' 11.245" उ	80°38' 57.711" पू
यू	26°36' 15.231" उ	80°38' 55.628" पू
वी	26°36' 21.418" उ	80°38' 48.090" पू
डब्ल्यू	26°36' 30.881" उ	80°38' 46.564" पू
एक्स	26°36' 36.589" उ	80°38' 47.743" पू
वाई	26°36' 45.375" उ	80°38' 48.022" पू
जेड	26°36' 57.406" उ	80°38' 51.102" पू
जेड1	26°36' 57.194" उ	80°38' 40.052" पू
जेड2	26°37' 9.373" उ	80°38' 40.833" पू

उपाबंध III

अक्षांश और देशांतर सहित शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य, उन्नाव, उत्तर प्रदेश के चारों ओर प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर राजस्व ग्रामों के ब्यौरे

क्र.सं	ग्राम	अक्षांश	देशांतर
1	रावणहारा	उ 26°36'33.59"	पू 80°39'27.70"
2	रामपुर आराह	उ 26°36'21.92"	पू 80°39'20.24"
3	पचीयावा	उ 26°36'51.09"	पू 80°39'59.96"
4	झाखारी	उ 26°37'05.40"	पू 80°39'59.50"
5	बरदाइ हाटा	उ 26°37'09.63"	पू 80°39'53.51"
6	भावानीपुर	उ 26°37'13.91"	पू 80°39'04.80"
7	जंगपुर	उ 26°37'15.85"	पू 80°39'22.51"

उपाबंध-V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति-की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार । विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10 September, 2018

S.O. 4777(E).—In supersession of Ministry's draft notification S.O. 248 (E), dated 20th January, 2016, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Shaheed Chandra Shekhar Azad Sanctuary located in district Unnao of Uttar Pradesh is covering an area of **2.246 sq km**.

AND WHEREAS, it is known for its open habitat of large number and variety of migratory and resident birds. Apart from birds, the Sanctuary is also home to a variety of trees, shrubs, hydrophytes. The faunal species that have a habitat here include molluscus, arthropods, annelids, amphibians, reptiles and several species of mammals. Wild boar (*Susscrofa cristatust*), Ground shrew (*Suncus murnius*), Jungle cat (*Felis chaus*), Fishing cat (*Prionailurus viverrinus*), Fox (*Vulpes*

bengalensis), Common yellow bat (*Scotophilus heathii*), Noctule bat (*Nyctalus noctula*), Three striped palm squirrel (*Funambulus palmarum*), Blue bull (*Boselaphus tragocamelus),* Cyclop (*Cyclops sp.*), Cypris (*Curpsi sp.*), Praying-mantis (*Mantis sp.*), Gnat (*Simulium equinum*), Water scorpion (*Panorpa cummunis*), Dung beetle (Meliocoxpris sp.), Large carpenter (*Megachile centuncularis*), Veined Jay (*Graphium bathycles chiron*), Classy tiger (*Parantica aglea melanoides*), Panther (*Neurosioma doubledyi doubledayi*), Slug (*Lomax sp.*), Yellow jegebel (*Delias agostina agostina*), Tiger brown (*Orinomadamari*s), Indian shag (*Phalacrocorax fuscicollis*), Purple heron (*Ardea purpurea*), Little Bittern (*Ixobrychus minutus*), Black ibis (*Plegadis falcinellus*), Spotted billed duck (*Anas poecilorhyncha*), Eurasiaon Wigeon (*Abas penelope*), Crested Goshawk (*Accipiter trivirgatus*), Black francolin *(Francolinus francolinus*), Wood snipe (*Gallinago nemoricola*), River tern (*Sterna aurantia*), Kentish plover (Charadrius alexandrinus), Greater coucal (*Centropus sinensis*), Asian palm swift (*Cypsiurus balasiensis*), Green bee-eater (*Merops orientalis*), Hoopoe (*Upupa epops*), Long tailed shrike (*Lanius schach*), Bar winged flycatcher shrike (*Hemipus picatus*), Green munia (*Amandava Formosa*), Olive backed pipit (*Anthus rufulis*), Striated babbler (*Turdoides earlei*), Thick billed flower pecker (*Dicaeum agile*), Baya weaver (*Ploceus phillippinus*) are the faunal species found in the area.

AND WHEREAS, Shaheed Chandra Shekhar Azad Sanctuary is represents diversity in floral species including Babool (*Acacia nilotica*), Australian acacia (*Acacia auriculiformis*), Indian Laburum (*Cassia fistula*), Yellow cassia (*Cassia siamea*), Flam boyante (*Delonix regia*), Margosa (*Azadirecta indica)*, Banyan Tree (*Ficus bengalensis*), Red cotton tree (*Mombax ceiba*), Arjun (*Terminalia arjuna*), Willow (*Salix tetrasperma*), Tal Makhana (*Hygrophila auriculatar*), Kantkari (*Solanum xanthocarpum*), Basella of Indian Spinach (*Basella rubra*), Cryptostegia (*Cryptostegia grandiflora*), Neptunia *(Mymose pudica*), Potentilla silver weed (*Potentilla supina*), Sama (*Echinochloa colonum*), Eragrostis (*Eragrostis ciliaris*), Gandhar (*Vetiveria zizanioides*), Dabh (*Desmoslachya bipinnata*), Dhamadl grass (*Cenchrus ciliaris*), Gandhel (*Iseilema laxum*), Oryza (*Oryza rufipogon*), Wild Rice (*Zizania aquatica*), Shyama (*Panicum paludosum*), Rorippa (*Nasturtium indicum*), Althea (*Althea ludwigii*), Jute (*Corchorus aestuans*), Causulia (*Caesweedlia axillaris*), Eclipta (*Eclipta alba*), Gobi, Launaea (*Launaea procumbens*), Phyla (*Phyla nodiflora*), Chaff flower (*Achyranthes aspera*), Amaranthus (*Amaranthus tricolour*), Ceratophyllum (*Ceratophyllum demersum*), Potamogeton (*Potamogeton pectinatus*), Utricularia (Utricularia inflexa), Bilaiti Aak (*Ipomea cornea*), Polygonum (*Polygonum barbatum*), Sesbania (*Sesbania aculeata*) etc.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Shaheed Chandra Shekhar Azad Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of **100 meters uniform** around the boundary of Shaheed Chandra Shekhar Azad Sanctuary in the State of Uttar Pradesh as the Shaheed Chandra Shekhar Azad Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.-**

(1) The said Eco-sensitive Zone is the area of **0.87 sq. km** extent of which 100 meters uniform around the boundary of the Shaheed Chandra Shekhar Azad Sanctuary situated in the Unnao district (between $26^0$36'02.23" N and $26^0$37'17.36" N Latitude and between $80^0$38'38.09" E and $80^0$40'11.03"E Longitude) of Uttar Pradesh.

(2) The boundary description of Shaheed Chandra Shekhar Azad Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-I.**

(3) The map of the protected area and eco-sensitive zone along with boundary details and land use pattern is appended as **Annexures- II A & B.**

(4) The geo coordinates of the protected area and eco-sensitive Zone are appended as **Annexure-III C & D.**

(5) The list of villages along with latitudes and longitudes is appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife,

(iii) Agriculture,

(iv) Revenue,

(v) Tourism,

(vi) Municipal,

(vii) Revenue,

(viii) Agriculture,

(ix) Uttar Pradesh State Pollution Control Board,

(x) Irrigation,

(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(10) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government - The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. –

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

(b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities,

(ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.

(iii) Small scale industries not causing pollution,

(iv) Rainwater harvesting, and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the

guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism/ Eco-tourism

(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Shaheed Chandra Shekhar Azad Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents. - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes. - Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the

Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste. – Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management. - The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and Demolition Waste Management. - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste. - The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution. - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units. –

(i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes. - The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Description
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad *Vs.* UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation *Vs.* UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
		B. Regulated Activities
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for

		small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: (b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (c) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (d) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale nonpolluting industries.	Nonpolluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
16.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.

18.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
21.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
22.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
24.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
26.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat	Shall be actively promoted.
39.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification:

The Central Government constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:-

S N	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	District Magistrate, Unnao	Chairman;
2.	Superintendent of Police/ Senior Superintendent of Police,	Member;

	Unnao	
3.	Executive Engineer of PWD, Unnao	Member;
4.	Executive Engineer of Irrigation Department, Unnao	Member;
5.	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
6.	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State	Member;
7.	District Agriculture Officer, Unnao	Member;
8.	Wildlife Warden, Endangered Species, UP, Lucknow	Member;
9.	Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, District Unnao	Member;
10.	Divisional Director, Social Forestry Division, Unnao	Member Secretary.

6. Terms of Reference. –

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma given in Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/166/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION

North-

1. National Highway
2. Bhawanipur village
3. Jangpur village
4. Hindukheda village

South-

1. Village Kewana- Agricultural land
2. Village Rampur- Agricultural land
3. Village Adar- Agricultural land
4. Village Kandhaikheda- Agricultural land

East-

1. Kasba Nawabganj
2. Village Pachiyon
3. Village Ravanhar
4. Village Jhakhari
5. Village Bardai Hata

West-

1. Village Khwajgipur- Agricultural land
2. Village Mishriganj- Agricultural land
3. Nawabganj range, office and forest land

ANNEXURE- II A

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SHAHEED CHANDRA SHEKHAR AZAD BIRD SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

MAP SHOWING SALIENT FEATURES WITHIN 100m (ECO SENSITIVE ZONE) FROM BOUNDARY OF NAWABGANJ BIRD SANCTUARY

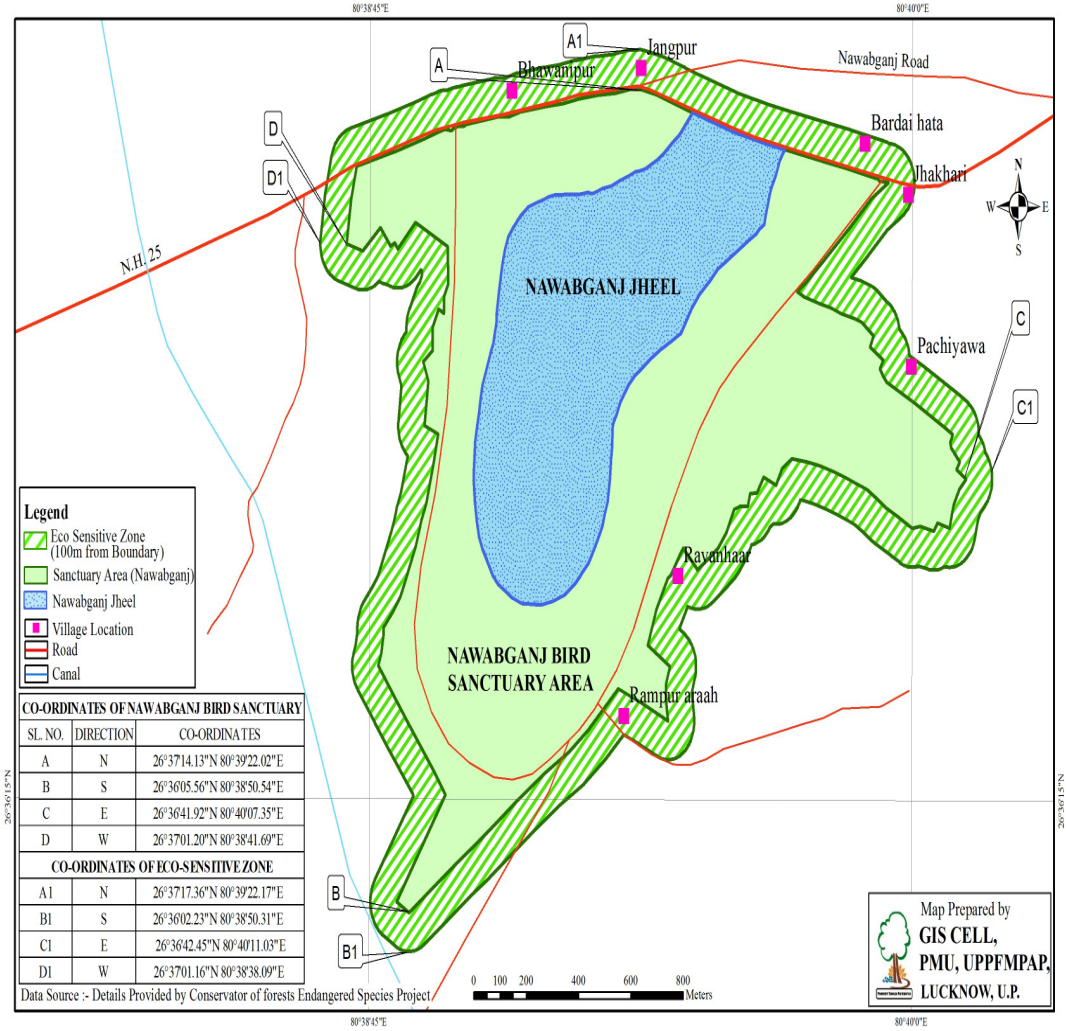

CO-ORDINATES OF NAWABGANJ BIRD SANCTUARY		
SL. NO.	DIRECTION	CO-ORDINATES
A	N	26°37'14.13"N 80°39'22.02"E
B	S	26°36'05.56"N 80°38'50.54"E
C	E	26°36'41.92"N 80°40'07.35"E
D	W	26°37'01.20"N 80°38'41.69"E
CO-ORDINATES OF ECO-SENSITIVE ZONE		
A1	N	26°37'17.36"N 80°39'22.17"E
B1	S	26°36'02.23"N 80°38'50.31"E
C1	E	26°36'42.45"N 80°40'11.03"E
D1	W	26°37'01.16"N 80°38'38.09"E

ANNEXURE-II B

LAND USE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SHAHEED CHANDRA SHEKHAR AZAD BIRD SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

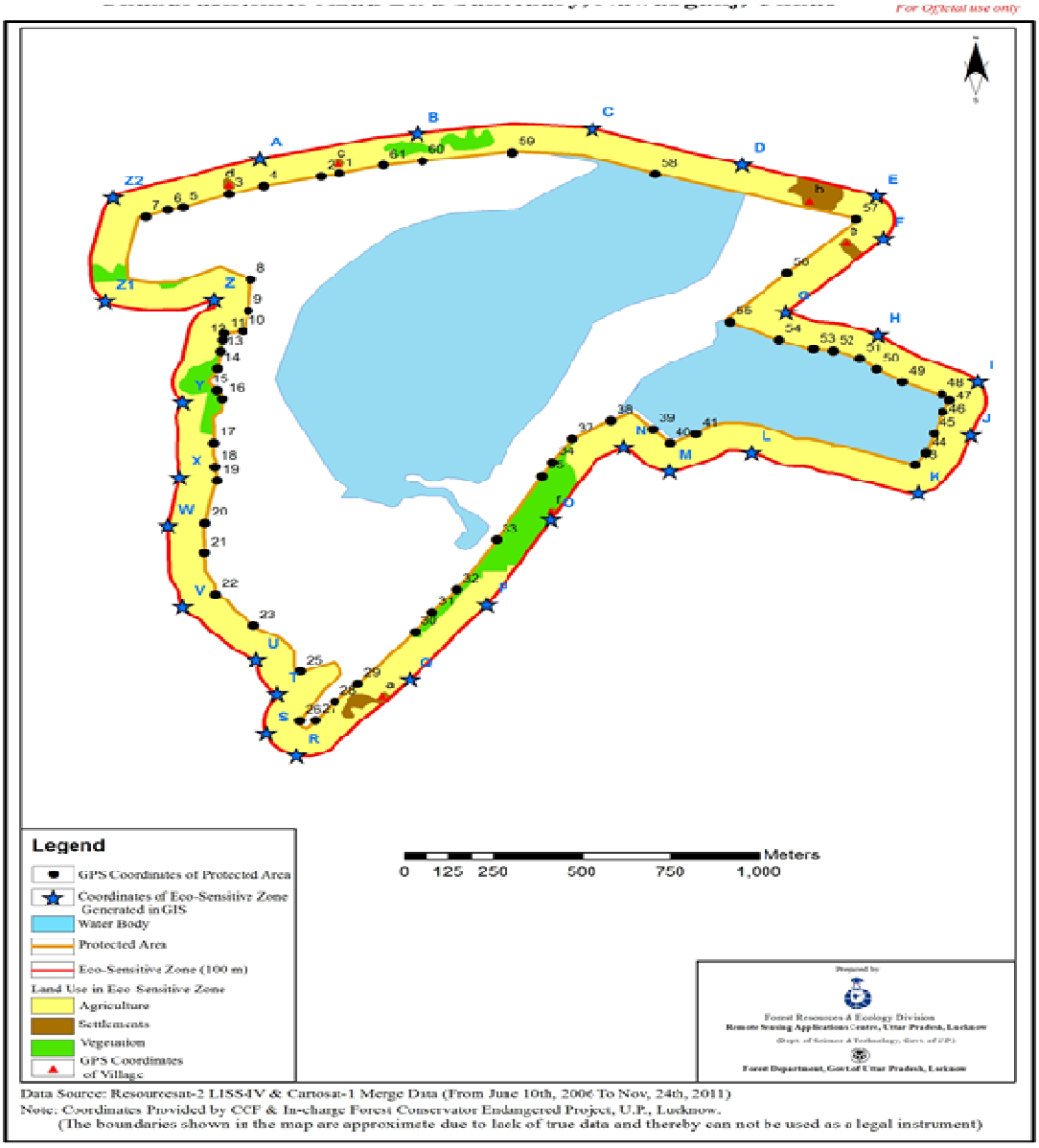

ANNEXURE-III A

GEO CO-CORDINATES OF BOUNDARY OF SHAHEED CHANDRA SHEKHAR AZAD BIRD SANCTUARY, NAWABGANJ, UNNAO

S. No.	Point	Latitude	Longitude
1	1	26°37’12.2"N	80°39'3.9"E
2	2	26°37’11.86"N	80°39'1.94"E
3	3	26°37’9.79"N	80°38'52.56"E
4	4	26°37’10.7"N	80°38'56.2"E
5	5	26°37’8.2"N	80°38'48"E
6	6	26°37’7.91"N	80°38'46.43"E
7	7	26°37’7.1"N	80°38'41.1"E
8	8	26°36’59.76"N	80°38'54.87"E
9	9	26°36’56.09"N	80°38'54.64"E
10	10	26°36’53.69"N	80°38'54.05"E
11	11	26°36’53.4"N	80°38'52.1"E
12	12	26°36’52.7"N	80°38'52"E
13	13	26°36’51.27"N	80°38'51.75"E
14	14	26°36’49.32"N	80°38'51.48"E
15	15	26°36’46.8"N	80°38'51.4"E
16	16	26°36’45.72"N	80°38'51.97"E
17	17	26°36’40.59"N	80°38'51.09"E
18	18	26°36’37.8"N	80°38'51.2"E
19	19	26°36’36.16"N	80°38'51.44"E
20	20	26°36’31.2"N	80°38'50.28"E
21	21	26°36’27.71"N	80°38'50.24"E
22	22	26°36’22.85"N	80°38'51.33"E
23	23	26°36’19.19"N	80°38'55.29"E
24	24	26°36’13.83"N	80°39'0.02"E
25	25	26°36’8.07"N	80°39'0"E
26	26	26°36’8.15"N	80°39'1.56"E
27	27	26°36’10.3"N	80°39'3.5"E
28	28	26°36’12.4"N	80°39'5.9"E
29	29	26°36’18.5"N	80°39'11.7"E
30	30	26°36’20.81"N	80°39'13.48"E
31	31	26°36’23.48"N	80°39'15.89"E
32	32	26°36’29.32"N	80°39'19.87"E
33	33	26°36’38.4"N	80°39'25.57"E
34	34	26°36’36.81"N	80°39'24.53"E
35	35	26°36’41.15"N	80°39'27.53"E
36	36	26°36’43.3"N	80°39'31.55"E
37	37	26°36’42.31"N	80°39'35.77"E
38	38	26°36’40.7"N	80°39'37.5"E
39	39	26°36’41.79"N	80°39'40.27"E
40	40	26°36’38.18"N	80°40'2.43"E

41	41	26°36’39.6"N	80°40'3.57"E
42	42	26°36’41.88"N	80°40'4.41"E
43	43	26°36’44.37"N	80°40'5.34"E
44	44	26°36’45.74"N	80°40'6.04"E
45	45	26°36’46.5"N	80°40'5.2"E
46	46	26°36’47.9"N	80°40'1.2"E
47	47	26°36’49.4"N	80°39'58.6"E
48	48	26°36’50.6"N	80°39'56.9"E
49	49	26°36’51.5"N	80°39'54.1"E
50	50	26°36’51.71"N	80°39'52.1"E
51	51	26°36’52.81"N	80°39'48.66"E
52	52	26°36’54.92"N	80°39'43.59"E
53	53	26°37’0.66"N	80°39'49.43"E
54	54	26°37’7"N	80°39'56.5"E
55	55	26°37’12.2"N	80°39'35.9"E
56	56	26°37’14.7"N	80°39'21.5"E
57	57	26°37’13.7"N	80°39'12.3"E
58	58	26°37’13.2"N	80°39'8.3"E

ANNEXURE-III B

GEO-COORDINATES OF ECO-SENSITIVE ZONE GENERATED IN GIS, SHAHEED CHANDRA SHEKHER AZAD BIRD SANCTUARY, NAWABGANJ, UNNAO

LOCATIONS	LATITUDE	LONGITUDE
A	26°37' 13.947" N	80°38' 55.778" E
B	26°37' 16.918" N	80°39' 11.739" E
C	26°37' 17.551" N	80°39' 29.524" E
D	26°37' 13.407" N	80°39' 44.797" E
E	26°37' 9.739" N	80°39' 58.506" E
F	26°37' 4.725" N	80°39' 59.268" E
G	26°36' 56.073" N	80°39' 49.364" E
H	26°36' 53.441" N	80°39' 58.724" E
I	26°36' 47.989" N	80°40' 8.881" E
J	26°36' 41.747" N	80°40' 8.181" E
K	26°36' 34.950" N	80°40' 2.801" E
L	26°36' 39.618" N	80°39' 45.792" E
M	26°36' 37.453" N	80°39' 37.448" E
N	26°36' 40.280" N	80°39' 32.899" E

O	26°36' 31.736" N	80°39' 25.507" E
P	26°36' 21.749" N	80°39' 18.952" E
Q	26°36' 12.965" N	80°39' 11.153" E
R	26°36' 4.040" N	80°38' 59.664" E
S	26°36' 6.624" N	80°38' 56.660" E
T	26°36' 11.245" N	80°38' 57.711" E
U	26°36' 15.231" N	80°38' 55.628" E
V	26°36' 21.418" N	80°38' 48.090" E
W	26°36' 30.881" N	80°38' 46.564" E
X	26°36' 36.589" N	80°38' 47.743" E
Y	26°36' 45.375" N	80°38' 48.022" E
Z	26°36' 57.406" N	80°38' 51.102" E
Z1	26°36' 57.194" N	80°38' 40.052" E
Z2	26°37' 9.373" N	80°38' 40.833" E

ANNEXURE III

List of revenue villages within the proposed Eco-Sensitive Zone around Shaheed Chandra Shekhar Azad Sanctuary, Unnao, Uttar Pradesh and their geo-coordinates

S.No.	Village	Latitude	Longitude
1	Ravanhaar	N 26°36'33.59"	E 80°39'27.70"
2	Rampur araarh	N 26°36'21.92"	E 80°39'20.24"
3	Pachiyawa	N 26°36'51.09"	E 80°39'59.96"
4	Jhakhari	N 26°37'05.40"	E 80°39'59.50"
5	Bardai hata	N 26°37'09.63"	E 80°39'53.51"
6	Bhawanipur	N 26°37'13.91"	E 80°39'04.80"
7	Jangpur	N 26°37'15.85"	E 80°39'22.51"

ANNEXURE V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).

   Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006

   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.09.18 12:23:53 +05'30'